



FINANCIAL ASSISTANCE SECTION (FAS)
DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
(GOVERNMENT OF NCT OF DELHI)

1st Floor Maharana Pratap ISBT Building, Kashmere Gate, DELHI

F.N.40(51)/DWCD/FAS/V.S./2021-22 / 7463-64

Dated:

28 JUL 2021

To ✓

The Deputy Secretary (Q),
Delhi Vidhan Sabha Sectt.
Old Secretariat, Delhi -110054

Subject: - Reply of Vidhan Sabha Unstarred Question No. 144 dt. 30/07/2021.

Sir,

Please find enclosed herewith 100 Copies of reply of Vidhan Sabha Unstarred Question No. 144 dated 30/07/2021 raised by Hon'ble Ms. Bhawna Gaud. The same is being forwarded for further necessary action at your end.

This issue with the prior approval of the competent authority.

Enclosure: 100 Copies of the reply

Dr. RASHMI SINGH
DIRECTOR
DWCD, GNCTD

Dr. Rashmi Singh
Director

Dated:

28 JUL 2021

F.N.40(51)/DWCD/FAS/V.S./2021-22 / 7463-64

Copy to:-

1. The Secretary to Hon'ble Deputy CM / Minister WCD

Dr. RASHMI SINGH
DIRECTOR
DWCD, GNCTD

Dr. Rashmi Singh
Director

विभाग का नाम: महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार

विभाग का पता: पहला तल,आई. एस. बी. टी. बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

अतारांकित प्रश्न संख्या: 144

दिनांक: 30.07.2021

प्रश्नकर्ता का नाम: सुश्री भावना गौर

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या काफी समय से अपने पतियों से अलग रह रही महिलाओं जिनके पास इसका कोई प्रमाण / एफआईआर नहीं है, उन्हें दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा निराश्रित पेंशन दिए जाने का कोई प्रावधान है	जी हाँ, महिला एवं बाल विकास विभाग के आर्थिक सहायता अनुभाग द्वारा विधवा, तलाकशुदा, पृथक एवं निराश्रित महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के तहत वो महिलाएं जो अपने पतियों से अलग रह रही हैं यदि उनके पास इससे सम्बंधित कोई दस्तावेज नहीं है तो ऐसी स्थिति में कानूनी प्रक्रिया (महिला के विरुद्ध अपराध कक्ष, परिवार परामर्श केंद्र, दिल्ली महिला आयोग व महिला पंचायत इत्यादि) के तहत आने वाला कोई भी दस्तावेज या शिकायत पत्र होना अनिवार्य है अन्यथा योजना के अंतर्गत योग्यता स्थापित नहीं हो सकती।
(ख) 40 से 50 वर्ष के मध्य की आयु वाली उन अविवाहित महिलाओं को जिनके पास अपने माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं है, क्या समाज कल्याण विभाग द्वारा उन्हें निराश्रित पेंशन दिए जाने का कोई प्रावधान है	महिला एवं बाल विकास विभाग के आर्थिक सहायता अनुभाग द्वारा संचालित विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए ४० से ५० वर्ष के मध्य आयु की महिलाओं के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है। योजना की अधिसूचना के नियम संख्या (२) के अनुसार 18 वर्ष से जीवन पर्यंत तक की आयु समूह की उन विधवाओं/ विवाह विच्छेद/तलाकशुदा/अलगा/असहाय या परित्यक्त महिलाओं को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है जिनके पास कोई भी पर्याप्त निर्वाह के साधन नहीं हैं और वे निर्धन जरूरतमंद और असुरक्षित हैं।
(ग) 18 वर्ष से कम आयु के जिन बच्चों के माता-पिता जीवित नहीं हैं, क्या उनके अभिभावक उन बच्चों के लिए निराश्रित पेंशन आवेदन कर सकते हैं	नहीं, केवल 18 वर्ष से अधिक आयु की निराश्रित महिला जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, उनके लिए पेंशन का प्रावधान है।
(घ) जिन अशिक्षित लड़कियों के माता-पिता जीवित नहीं हैं, क्या वे लड़कियां भी समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली निराश्रित पेंशन की पात्र हैं	महिला एवं बाल विकास विभाग के आर्थिक सहायता अनुभाग द्वारा 18 एवं उससे अधिक वर्ष की विधवा, तलाकशुदा, पृथक एवं निराश्रित महिलायें जो भले ही शिक्षित हो या अशिक्षित व आर्थिक रूप से कमजोर हों, को आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है।

(डॉ रश्मि सिंह)

विभागाध्यक्ष

Dr. Rashmi Singh
Director